तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी
26/05/22	सलाहकार पीठ हुई। अभिलेख अधि० प्रमाणीकरण प्रार्थना पत्र हाल मूल वाद पत्रावली में दी जा चुकी है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अधि० प्रमाणीकरण का प्रा०प० अधिनियम धारा 212 आर.एस.ए. 1955 की पालना किया जाता है। प्रा०प० स्वीकार किया जाता है। मूल वाद सं० 141/2021 के साथ एकीकृत किया रहे। सलाहकार की पालना में, निर्णित इन्द्राज की नकल वाद अंक निर्णित इन्द्राज की नकल वाद अंक शेष कार्यवाही अभिलेखागार में होगी। शेष निर्णय मूल न्यायालय में सुनाया जावे। निर्णय मूल	(नीता वसीटा) सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राशमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.06.29 11:39:16 IST
Reason: SelfAttested